

न्यायालय:- अंचल अधिकारी, गाँवा जिला-गिरिडीह

आदेश फलक

वाद का प्रकार - विवाद

अभिलेख सं०- 06/2018

आदेश का क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
20.02.2025	यह अभिलेख राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा गोरियाचुं थाना नं०-252, खाता नं०-01, प्लॉट नं०-181, रकबा-0.60 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। भूमि केश सं०- 9/95-96 के द्वारा कैलाश दुडू पिता-बद्री मांझी आवेदक के नाम से सरकार के द्वारा बंदोबस्ती प्राप्त है। जिसकी जमाबंदी पंजी 2 के पृष्ठ सं०-175 भो०-04 में कैलाश दुडू आवेदक के नाम से दर्ज है एवं लगान रसीद 2018-19 तक निर्गत है। वर्तमान में स्थल पर आवेदक का खलिहान एवं पुआल रखने का बना हुआ है तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया। उनके द्वारा राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। अंचल अमीन, गाँवाँ के द्वारा विवादित भूमि का मापी कर चिन्हित करा दिया गया है। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित <i>[Signature]</i> 20-02-25 अंचल अधिकारी गाँवाँ <i>[Signature]</i> 20/02/25 <i>[Signature]</i> 20-02-25 अंचल अधिकारी गाँवाँ <i>[Signature]</i> 20/02/25	